



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102023-249713
CG-DL-E-26102023-249713

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4516]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 26, 2023/कार्तिक 4, 1945

No. 4516]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 2023/KARTIKA 4, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4703(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार 'पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (पैन:-AAALW0078B), पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा संस्थापित एक बोर्ड, को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) शुल्क जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- सहमति शुल्क या अनापत्ति प्रमाणपत्र शुल्क,
- विश्लेषण शुल्क,
- प्राधिकार शुल्क,
- सार्वजनिक सुनवाई शुल्क,

- (v) राज्य पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रसंस्करण के लिए एकत्रित शुल्क,
 - (vi) बोर्ड के पर्यावरणीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के लिए प्राप्त शुल्क,
 - (vii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अंतर्गत प्राप्त शुल्क और अपील शुल्क;
 - (viii) निविदा शुल्क, और
 - (ix) उपकर अपील शुल्क।
- (ख) निम्नलिखित की प्रतिपूर्ति:-
- (i) उपकर, और
 - (ii) राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम, भारतीय राष्ट्रीय जलीय संसाधनों की निगरानी और इसी तरह की योजनाओं के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त व्यय।
- (ग) पर्यावरणीय कानून, विनियमों, महत्वपूर्ण न्यायिक आदेशों और पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित पुस्तकों की बिक्री जहां कोई लाभ तत्व शामिल नहीं है और गतिविधि वाणिज्यिक प्रकृति की नहीं है;
- (घ) अनुपालन न करने के कारण प्रदूषण लागत या बैंक गारंटी की जब्ती;
- (ङ) पुरानी या स्क्रेप वस्तुओं की बिक्री और उससे संबंधित अन्य मामलों सहित विविध आय, जहां कोई लाभ तत्व शामिल नहीं है; और
- (च) बैंक जमा, और कर्मचारियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज।
2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:-
- (क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिस नहीं होगा;
 - (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।
3. यह अधिसूचना क्रमशः वित्तीय वर्षों 2021-2022 से 2023-2024 के लिए संगत निर्धारण वर्षों 2020-2021 से 2022-2023 के लिए लागू की गई मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 92/2023 फा.सं. 300196/27/2022-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।